

5

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या-55/2022-23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

संतोष कुमार पाण्डेय एवं अन्य

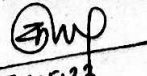
-::आदेश::-

30.05.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-11/2022, दिनांक-29.08.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि दूग्दा थाना कांड सं०-40/2022, दिनांक-08.07.2022, धारा-379/414 भा०द०वि०, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 के नियम 54 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा-21 के अन्तर्गत जप्त 1. वाहन पंजीयन सं०-JH10BP-9109 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट स्टोन चिप्स, वाहन मालिक श्री संतोष कुमार पाण्डेय पिता स्व० हेमन्त कुमार पाण्डेय, सा०-दूग्दा कॉलोनी, पो०+थाना-दूग्दा, जिला बोकारो 2. वाहन पंजीयन सं०- OD09P-0361 एवं उस पर लदा करीब 500 घनफीट स्टोन चिप्स, वाहन मालिक श्री लखी राम साव, पिता स्व० ललटू साव, ग्राम-तेलमोचो, पो०-रामनगरगढ़, थाना-महुदा, जिला धनबाद के विरुद्ध बिना ई-परिवहन चलान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं स्टोन चिप्स को राजसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

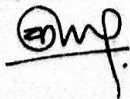
उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञा सरकारी अधिवक्ता, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय पत्रांक-308/खनन, दिनांक-13.02.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक-08.07.2022 को समय 12:35 PM बजे खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो एवं स्थानीय पुलिस बल के साथ दुग्दा थाना अन्तर्गत घुटवे से टी मोड़ के पास जाँच के क्रम में स्टोन चिप्स लदे दो


30.5.23

वाहनों को बिना ई-परिवहन चालान के खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जाँच दल को देखते ही उक्त वाहन के चालक अपने-अपने वाहनों को छोड़कर भाग गए। तत्पश्चात पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदा स्टोन चिप्स को विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर जप्त करते हुए दुग्दा थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। मालिक/चालक के द्वारा जाँच दल को वैध कागजात/ई-परिवहन चालान को दिखाने के बजाय गाड़ी को छोड़कर का भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। स्पष्टतः उनके द्वारा अवैध तरीके से स्टोन चिप्स को कालाबाजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से स्टोन चिप्स का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि खनन विभाग के द्वारा उनके वाहन पर राजसात करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत वाहन का सम्पूर्ण कागजात अद्यतन एवं वैध रहने के बाद भी खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जबरन चालान को गलत बताकर झूठे एवं निराधार मुकदमें को न्यायालय के समक्ष रखा गया है। विपक्षी के द्वारा किसी भी झारखण्ड खनन नियमावली एवं एम0एम0डी0आर0 एक्ट की धारा-21 या अन्य कोई भी एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया है कि प्रश्नगत वाहन में लदा स्टोन चिप्स से संबंधित चालान सं0-F72200544/2 एवं F72200544/2 दिनांक-08.07.2022 मेसर्स अंजनी कुमार पाण्डेय स्टोन क्रशर प्रो0 एवं डिलर श्री संतोष कुमार पाण्डेय मौजा घुटवे थाना दुग्दा के नाम से निर्गत है जो सही है। उनके अनुसार ई-परिवहन चालान घटना की तिथि -08.07.2022 का ही है। उसमें अंकित समय, वाहन जप्ती के समय में भिन्नता का कारण सर्वर का डाउन होना है। सर्वर के डाउन रहने के कारण समय पर चालान निर्गत नहीं हो सका। यह एक तकनीकी मामला है, इसमें प्रतिवादी की कोई गलती नहीं है। दायर वाद में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता है कि वाहन का



कोई कागजात वैध नहीं था या लदा स्टोन चिप्स अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा राज्यसात की कार्यवाही को खारिज एवं जप्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में दोनों पक्षों की दलील, दाखिल कारण-पृच्छा, जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रतिवादियों के द्वारा बिना वैध कागजात के ही प्रश्नगत स्टोन चिप्स का परिवहन किया जा रहा था। जाँच दल को देखते ही वैध कागजात/ई परिवहन चालान प्रस्तुत करने के बजाय, चालक/मालिक का वाहन छोड़कर भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। प्रतिवादी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दाखिल ई-परिवहन चालान की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त ई-परिवहन चालान में अंकित समय, वाहन जप्ती के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऑन-लाईन बनाया गया है ताकि प्रश्नगत स्टोन चिप्स के परिवहन को सही ठहराया जा सके। जाँच के दौरान उक्त परिवहन चालान को घटना स्थल पर दिखाये जाने की स्थिति में प्रतिवादी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती। प्रतिवादी के द्वारा दाखिल दस्तावेज/परिवहन चालान एक After thought है, जो जप्त वाहन एवं खनिज को राजसात् की कार्यवाही से बचाने के लिए किया जा रहा है। उनकी ओर से दाखिल कारण पृच्छा न तो संतोषजनक है और न ही उसका कोई ठोस आधार। बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों का उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा-4(1), 4(1A) का उल्लंघन है एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा-21 के तहत दण्डनीय भी। वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से स्टोन चिप्स के परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-11/2022, दिनांक-29.08.2022 को स्वीकृत करते हुए दूरदाथाना कांड सं०-40/2022, दिनांक-08.07.2022, धारा-379/414

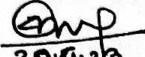


C. C. Mahapatra

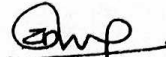
भा0द0वि0, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 के नियम 54 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा-21 के अन्तर्गत जप्त 1. वाहन पंजीयन सं0-JH10BP-9109 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट स्टोन चिप्स 2. वाहन पंजीयन सं0-OD09P-0361 एवं उस पर लदा करीब 500 घनफीट स्टोन चिप्स को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


30.5.23

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


30.5.23

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Anand Vaidya

No. 88

Date 4/7/23